

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 198 / 2023

सरकार बनाम रामरती पत्नी रामस्वरूप, जाति-अहीर  
नि. कुशलपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 30.11.2023

### निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला रामरती पत्नी रामस्वरूप, जाति-अहीर नि. कुशलपुरा द्वारा रोही मौजा कुशलपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 120 के कुल रकबा 9.06 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर दो दुकान व एक लेट बाथ बनाकर नया अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला की ओर से एडवोकेट श्री कपिल पराशर का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अवसर देने उपरान्त गैर सायला ने जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें अपना अतिक्रमण होना स्वीकार नहीं किया है तथा अपना निर्माण ख.नं. 119 गै.मु. आबादी भूमि में होना बताया है। जबकि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये नजरी नक्शों में अतिक्रमित स्थल को गै.मु. जोहड़ ख.नं. 120 में दर्शाया है। गैर सायला ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। अतः गैर सायला का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है। एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० ४ के बृत्त सं. ५० पर  
वर्ष २०२३ में रूपये ०५२ कायम किए

राजस्व लेखाकार

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़